न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./2004/1831/करौली

1– पन्ना पुत्र सोन्या (मृतक) जरिये वारिसान :–
1/1. पप्पू पुत्र स्व0 पन्ना
2/1. मुकेश पुत्र स्व0 पन्ना
3/1. धनपाल पुत्र स्व0 पन्ना
4/1. हरपति बाई पुत्री स्व0 पन्ना
5/1. मुक्तू बाई पुत्री स्व0 पन्ना
6/1. पारो बाई पुत्री स्व0 पन्ना
7/1. लाली बाई पुत्री स्व0 पन्ना
8/1. गुड्डी बाई पुत्री स्व0 पन्ना
2. गिल्ली पुत्री स्व0 पन्ना
3. मु0 केसर पुत्री सोन्य पत्नि मिश्रिया
समस्त जातियान कुम्हार निवासी जाखोदा तहसील सपोटरा जिला करोली।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. कन्हैया लाल पुत्र मंगू (मृतक) जरिये वारिसान :–
1/1. विक्रम सिंह पुत्र कन्हैयालाल
1/2. दिलीप सिंह पुत्र स्व0 कन्हैयालाल
1/3. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 कन्हैयालाल
1/4. रामकिशोर पुत्र स्व0 कन्हैयालाल
1/5. श्रीमती अंगूरी बेवा कन्हैयालाल
2. बाबूलाल पुत्र मंगू
3. मु0 राम कन्या पुत्री मंगू
समस्त जाति कण्डेरा निवासी ग्राम ओडच तहसील सपोटरा जिला करौली
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सपोटरा
5. उप जिला कलक्टर, सपोटरा जिला करौली
6. राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ

श्री पुरुषोत्तम लाल सैनी, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

––––––

उपस्थितिः
श्री एन.के. गोयल, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री अशोक अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

दिनांकः– 03/06/2025.

1– हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर एवं न्यायालय उप जिला कलक्टर, सपोटरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री क्रमशः दिनांक 31–01–2004 तथा 31–7–2002 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण वादीगण द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर, सपोटरा के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण के इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 249 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार सोन्या पुत्र कल्लू कुम्हार था, जिन्होंने उक्त आराजी वादी के पिता व पति को बिल एवज रूपये 500/– संवत 2016 तारीख 31–01–60 को बेचान कर कब्जा दे दिया। सोन्या निःसन्तान मर चुका है। प्रतिवादी अपीलार्थी सं0 1 व 2 गंगाधर के पुत्र हैं। सोन्या गंगाधर का भाई था और गंगाधर के मरने पर सोन्या द्वारा पालन पोषण से सोन्या को अपना पिता माना है। सोन्या के यही वारिस हैं। प्रत्यर्थीगण वादीगण का 40 वर्षो से पुराना वादग्रस्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

योग्य विचारण न्यायालय द्वारा दावा रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना जवाबदावा पेश नहीं किया। दिनांक 29–01–97 को एक राजीनामा पेश किया, जिसमें यह अंकित किया कि वादीगण के नाम वादग्रस्त आराजी दर्ज किये जाने में प्रतिवादीगण को एतराज नहीं है, जिसमें प्रतिवादीगण ने माना है कि सोन्या व हम प्रतिवीदगण को न कोई हकूक काश्त है, न कब्जा काश्त है। अतः मुताबिक राजीनामा दावा वादीगण डिक्री किया जावे।

विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–7–2002 द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य तथा राजीनामा को दृष्टिगत रखते हुए वाद वादीगण डिक्री किया तथा वादगस्त आराजी का वादीगण को काबिज खातेदार घोषित कर दिया।

उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रथम

अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–01–2004 द्वारा उक्त अपील को खारिज कर दिया, जिससे असंतुष्ट होकर राजस्व मण्डल के समक्ष अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील पेश की है।

3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को कानूनन गलत रूप से पेश किया है तथा उक्त राजीनामे की जानकारी प्रतिवादी को नहीं होने के उपरांत भी अपने निर्णय व डिक्री द्वारा राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री किया है, अतः धोखे से दी गई सहमति कानूनन शून्य प्रभावी है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु की ओर गौर नहीं किया गया कि वादग्रस्त आराजी का बेचान दिनांक 03–01–1960 को किया गया, जिसके 34 वर्ष बाद विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रत्यर्थीगण वादीगण द्वारा पेश किया गया। इतनी लम्बी अवधि के बाद प्रस्तुत दावे को केवल एक अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर डिक्री किया जाना विधि अनुसार उचित नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष जो राजीनामा पेश किया गया, उसे प्रतिवादीगण द्वारा सही नहीं बताया गया। विचारण न्यायालय ने वादी का बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सन् 1960 से लगातार दावा दायरी तक वादग्रस्त आराजी पर कब्जा होना माना है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि मृतक सोन्या के तीन वारिसान जिसमें दो पुत्र पन्ना, गिल्ली एवं एक पुत्री मु0 केसर पत्नि मिश्रया थे जो कि ग्राम जाखोदा में निवास करते थे। वादी प्रत्यर्थी ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की अवहेलना करते हुए मु0 केसर को दावे में प्रतिवादी के रूप में पदस्थापित नहीं किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में इस तथ्य को नजरंदाज किया है कि तथाकथित राजीनामे पर मु0 केसर के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलीय न्यायालय ने मु0 केसर द्वारा राजीनामा पर सहमति नहीं होने के तथ्य को नजरंदाज करते हुए अपील को खारिज किया है, जो उचित नहीं है। अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील ऑफ मीमो में अपने आधार सं0–1 से 13 में यह स्पष्ट अंकित किया था कि वादग्रस्त आराजी को कभी प्रतिवादी अपीलार्थी के पिता को बेचान नहीं किया गया जिसके आधार पर प्रस्तुत राजीनामा मनगढ़ंत, फर्जी एवं बेबुनियाद है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा एवं अन्य किसी के द्वारा प्रतिवादी की जानकारी में यह नहीं लाया गया कि राजीनामा पर उनके अंगूठा निशानी करवाई जा रही है। प्रतिवादी गरीब, अनपढ़ एवं अशिक्षित काश्तकार हैं, जो सिर्फ अंगूठा निशानी कर सकते हैं। उन्होंने किसी व्यक्ति अथवा अधिवक्ता को राजीनामा पेश करने की सहमति नहीं दी है। धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट में यह प्रावधित है कि कोई भी अचल सम्पति 100/– रूपये से अधिक की हो तो उस विलेख को रजिस्टर्ड करवाया जाना आवश्यक है, जबकि वादी प्रत्यर्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी का उक्त अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर बेचाननामे के आधार पर खातेदार बनने

का निवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि से परे जाकर आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पारित किये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य एवं राजीनामा को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया है। राजीनामा दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विचारण न्यायालय के समक्ष विधिनुसार पेश किया गया है। यदि प्रतिवादीगण राजीनामा को अब फर्जी कहते है तो इसके लिए उन्हें सिविल न्यायालय में जाना चाहिए। पन्ना, गिल्ली, केसर, स्व0 सोन्या के नहीं होकर गंगाधर के लड़के लड़कियां हैं। सोन्या निःसन्तान मरा है। केसर का गंगाधर की सम्पति में हिस्सा है, उसका सोन्या की सम्पति में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को को–लेटरल परपज के लिए पढ़ा जा सकता है। एडवर्स पजेशन के आधार पर भी मेरा दावा प्रूव है तथा इसी आधार पर दावा डिक्री किया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है तथा अपीलीय न्यायालय ने अपने विस्तृत निर्णय एवं डिक्री में राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री को सही मानने में ऐसी कोई विधिक त्रुटि नहीं की है, जिसमें इस द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाये।

5– उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी वादीगण कन्हैयालाल, बाबूलाल पुत्रगण मंगू एवं रामकन्या पुत्री मंगू द्वारा प्रतिवादीगण पन्ना व गिल्ली पुत्रगण सोन्या के विरूद्ध एक राजस्व वाद बाबत् इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय सहायक कलक्टर, सपोटरा के समक्ष पेश किया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दिनांक 29–01–1997 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश हुआ, जिसे योग्य विचारण न्यायालय द्वारा तस्दीक कर बरूह राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। उक्त राजीनामे की मूल प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार वादीगण कन्हैयालाल, बाबूलाल व रामकन्या एवं प्रतिवादीगण पन्ना व गिल्ली के मध्य राजीनामा निष्पादित होकर इसकी पुश्त पर उभय पक्षों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है तथा प्रस्तुत राजीनामे को योग्य विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की उपस्थिति में तस्दीक किया जाकर, वादीगण का वादपत्र डिक्री किया है। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी प्रतिवादीगण पन्ना, गिल्ली

पुत्रगण सोन्या एवं मु0 केसर पुत्री सोन्या द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रथम अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई :–

1– यह कि राजीनामा दिनांक 29–01–1997 फर्जी, मनगंढ़त एवं बेबुनियाद है।

2– यह कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 के तहत् मु0 केसर स्व. सोन्या की पुत्री होने से उसे मूल वाद में पक्षकार ही नहीं बनाया गया एवं ना ही राजीनामा दिनांक 29–01–1997 में उसके हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है।

3– यह कि प्रदर्श–1 बयनामा अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित दस्तावेज है तथा उक्त दस्तावेज के आधार पर 34 वर्ष वाद वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से प्रकट होता है कि प्रदर्श–1 लिखत दिनांक 03–1–60 एक अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित दस्तावेज है, जिसके आधार पर वादीगण के पिता स्व. मंगू द्वारा स्व. सोन्या से विवादित भूमि को बिलएवज 500/– रूपये में क्रय कर अपने कब्जे काश्त में होना बताया है। वादीगण द्वारा मूल वाद 02–03–1994 को पेश किया गया तथा वादपत्र में सोन्या के निःसंतान फौत होने एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वास्तव में गंगाधर के पुत्र होने संबंधी अभिवचन किये गये है तथा सोन्या गंगाधर का भाई होने एवं उसके मरने के पश्चात् सोन्या द्वारा पालन पोषण करना अभिकथित किया गया है। स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादपत्र पन्ना एवं गिल्ली पुत्रगण सोन्या के विरूद्ध पेश किया गया है, किन्तु ग्राम पंचायत चौडागांव प0सं0 सपोटरा जिला करौली द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 17–02–2004 के अनुसार सोन्या वल्द कल्लू के दो पुत्र पन्ना एवं गिल्ली व एक पुत्री केसर होना प्रथम दृष्टया दर्शित होता है तथा मूल वाद में मु0 केसर ना तो बतौर प्रतिवादी पक्षकार है एवं ना ही राजीनामा दिनांक 29–01–1997 में उसके हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है। हालांकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को कानूनन एस्टोप्ड होना मानते हुए अपील को खारिज किया है, किन्तु यह भी विचारणीय है कि सोन्या की मृत्यु के पश्चात् उसके विधिक वारिसान कौन है तथा सोन्या का विरासती नामांतकरण अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वीकृत हुआ है अथवा नहीं तथा तथाकथित राजीनामा वैध होकर प्रतिवादीगण राजीनामा हेतु अधिकृत थे अथवा नहीं, ये समस्त तथ्य एवं विधि के मिश्रित प्रश्न है, जिन्हें मूल वाद में ही वादी एवं प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही किया जाना संभव था, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद राजीनामा दिनांक 29–01–1997 के आधार पर डिक्री हुआ है तथा इसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने सारहीन होना मानते हुए खारिज किया है। इस प्रकार दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के

समवर्ती निर्णय है तथा यह एक सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि जहां समवर्ती निष्कर्षों से अन्याय स्पष्ट परिलक्षित हो, वहां द्वितीय अपील में समवर्ती निष्कर्षों में भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी प्रतिवादीगण द्वारा द्वितीय अपील में उठाये गये तथ्यों के संबंध में अन्य कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण पुनः योग्य विचारण न्यायालय को भिजवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव हस्तगत द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

6– परिणामतः हस्तगत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, योग्य विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर, सपोटरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–07–2002 एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–01–2004 अपास्त किये जाकर प्रकरण पुनः योग्य विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर, सपोटरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा मूल वाद के संबंध में उठाये गये समस्त विवाद बिन्दुओं पर उभय पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करें।

उभय पक्षों को जरिये अधिवक्तागण निर्देशित किया जाता है कि वह अग्रिम कार्यवाही हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 25/06/2025 को उपस्थित हो।

इस निर्णय के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 03/06/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य